

(भाग-क)

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय लेखे के रख-रखाव के लिए रजिस्टर

अभ्यर्थी का नाम : 2123 हुमा

राजनीतिक दल का नाम, यदि कोई हो : निर्दिष्ट

निर्वाचन क्षेत्र जहां से निर्वाचन लड़ा गया : 54 लोकसभा क्षेत्र केजावाड़

परिणाम की घोषणा की तारीख :

निर्वाचन एजेन्ट का नाम एवं पता :

उपगत/प्राधिकृत कुल व्यय :

(नामांकन की तारीख से लेकर निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख तक, दोनों तारीखें सम्मिलित)

1	व्यय/घटना की तारीख	2 व्यय की प्रकृति		3 कुल राशि रु० में (भुगतान किया गया + बकाया)	4 आदाता का नाम और पता	5 बिल सं०/ वाउचर सं० और तारीख	6 अभ्यर्थियों या उसके निर्वाचन एजेन्ट द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि	7 राजनैतिक पार्टी द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि और राजनैतिक दल का नाम	8 अन्य व्यक्ति/संस्था/निकाय/किसी अन्य द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि (पूरा नाम और पता लिखें)	9 टिप्पणी, यदि कोई हो
		विवरण	मात्रा प्रति यूनिट दर							
18-04-2019	बोर्ड ऑफ़ ट्रेडिंग	1	14	14	स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया, काठमांडू	16-04-2019	14			
1-	कमान्ड मीटर	1	12500	12500	स्टेट बैंक ऑफ़ इण्डिया, काठमांडू	18-04-2019	12500			
3-	शपथ पत्र	1	1000	1000	पावन आरव, उमरा, कैलाशपुर	17-04-2019	1000			
4-	कोर्ट के राशिपत्र	1	50	50	रंजीत फोटो कार्ड	18-04-2019	50			
5-	बुनोने	1	1350	1350	निर्देश, इरुहलाल, सिवली	18-04-2019	1350			

शेष 10 65 71 158



डीजल	10	65	76	658			
चाय वानी	10	5	00	50			658
समोसा	10	5	00	50			50
							50
टोटल -							14,682
							14,682

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/मेरे निर्वाचन एजेंट द्वारा रखा गया यह लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन सही है (परिणाम की घोषणा की तारीख के पश्चात् प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए)।

अमरुथी के हस्ताक्षर  
 अमरुथी कुमार








Tab-1603250 |

दिनांक 26-4-2019 को नोटिस  
जाती होने के 24 घण्टे के अन्दर  
अभ्यर्थी/एजेन्ट ने अपने नाम  
रजिस्टर को निरीक्षण हेतु प्रस्तुत  
किया गया।

  
26/04/2019

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे/मेरे निर्वाचन एजेन्ट द्वारा रखा गया यह लेखा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 के अधीन सही है (परिणाम की घोषणा की तारीख के पश्चात् प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए)।

श्री 26 जुमा

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर